

प्रेषक,

निदेशक,

पशुपालन विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

रायबरेली, चन्दौली, मथुरा, कन्नौज, कानपुर देहात, महाराजगज,

सतंकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बहराईच, बलरामपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर,

आजमगढ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बांदा, महोबा, झांसी, हरदोई, गोण्डा,

बलिया।

संख्या 6000/स्था0-1/एक-क/1-10(7)/2007/भाग-दो दिनांक 10/10/14

विषय:-उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संवर्ग के पुर्नगठन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 7-1-08

में पशु चिकित्साधिकारी, (ग्राम समूह) पशु चिकित्साधिकारी (कृत्रिम गर्भाधान)

मुख्यालय के पदों की स्थिति स्पष्ट किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या 1313/स्था0-1 दिनांक 2-4-14 एवं दूरभाष द्वारा पशु चिकित्साधिकारी ग्राम समूह एवं कृत्रिम गर्भाधान मुख्यालय के नाम सहित सूचना उपलब्ध कराने हेतु कई बार निर्देश दिये गये हैं परन्तु अभी तक उक्त पदों के सम्बन्ध में सूचना आपके स्तर से प्रतीक्षित है। प्रकरण में वांछित सूचना मा0 न्यायालय से आच्छादित होने के कारण अति महत्वपूर्ण है परन्तु आपके स्तर से उक्त सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है से यह स्पष्ट है कि आप द्वारा शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरती जा रही है जो उचित नहीं है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पुर्नगठन से पूर्व आपके अधीनस्थ जनपद में कितने पद पशु चिकित्साधिकारी, ग्राम समूह एवं कृत्रिम गर्भाधान के सृजित थे की सूचना आज ही फैंक्स/विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नेबू लाल)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)